भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 674

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना

674. श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार मौजूदा इस प्रक्रिया और उन परिपाटियों को भी चुस्त-दुरुस्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसका संबंधित पक्ष अदालतों में सुनवाई में विलम्ब करने के लिए अक्सर सहारा लेते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क) से (घ): जी, नहीं। वर्तमान में मामलों के त्वरित विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सामाजिक एवं वैधानिक जरूरतों के अनुसार दण्ड विधि में संशोधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार, न्यायालय में सुनवाई आदि में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से कानूनों/प्रक्रियाओं के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं।

*****